



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/बिलासपुर/चू०प०-38 छ०ग० 02003

दिनांक:- 01/05/2020

प्रति,

श्री दिनेश कुमार सरौगी, सी०ओ०ओ० एवं नॉमिनेटेड ऑनर,  
सर्वश्री जिन्दल स्टील एवं पावर लिमिटेड,  
पोस्ट बॉक्स नं० - 16, खरसिया रोड,  
रायगढ़ - 496 001 (छत्तीसगढ़)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित आपकी गोडादीह महल नं० 2 चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 120.313 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 29/01/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री उदय प्रताप सिंह, वाईस प्रेसीडेन्ट एवं श्री संजय श्रीवास्तव, एसोसिएट वाईस प्रेसीडेन्ट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. BLS/LST/MPLN-1189/2018 Raipur dated 15/02/2019 for the period of F.Y. 2018-19 to 2020-21: <b>Exploration:</b> During F.Y. 2019-20; it was proposed to carry out 09 nos. of Boreholes up to a cumulative depth of 450 meters; whereas, none of boreholes have been drilled. <b>Afforestation:</b> There was a proposal given for plantation of 2525 nos. of plants during 2018-19. Whereas, NIL plantation has been done.
<b>Rule 26 (2)</b>	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2018-19.
<b>Rule 33</b>	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the financial year 2018-19.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत:-  
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर - 440001 (महाराष्ट्र)
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, (छत्तीसगढ़)

कृ०पृ०प०..2.

3. श्री उदय प्रताप सिंह, वाईस प्रेसीडेन्ट एव ऐजेन्ट (खान) सर्वश्री जिन्दल स्टील एवं पावर लिमिटेड, 13 कि० मी० माईल स्टोन, जी० ई० रोड, मंदिर हसौद, रायपुर, जिला— रायपुर (छत्तीसगढ़)— 492 101

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर